



दिल्ली विश्वविद्यालय University of Delhi
(संपदा अनुभाग Estate Section)

विश्वविद्यालय आवास सं. / सामुदायिक भवन के अस्थायी आवंटन हेतु आवेदन पत्र

Application Form for temporary allotment of University Accommodation

No. _____ / Community Centre

1. कर्मचारी का नाम Name of the Employee : _____
2. पदनाम Designation : _____
3. विभाग Department : _____
4. आवंटिती का क्वाटर सं. Allottee of Quarter No. : _____
5. फोन नंबर Telephone No. : _____
6. प्रयोजन जिसके लिए आवास अपेक्षित है
Purpose for which the accommodation is required : _____
7. किससे आवास अपेक्षित है Accommodation required from : _____
8. आमंत्रण कार्ड की प्रति संलग्न है
Copy of the invitation Card Enclosed : हाँ Yes / नहीं No

आवेदनकर्ता को निम्नलिखित नियम एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक है:-

- 1- आवंटिती को आवेदन करते समय कार्यक्रम विवरण के साथ _____ रूपये का ड्राफ्ट कुलसचिव, दिल्ली विश्वविद्यालय के नाम देय करना अनिवार्य है। अन्यथा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 2- आवंटिती को तय समय रात 10 बजे के बाद संगीत एवं लाउडस्पीकर चलाने की अनुमति नहीं होगी।
- 3- आवंटिती को अगले दिन सुबह 10 बजे तक सामुदायिक भवन/ विश्वविद्यालय आवास की सफाई करके स्वच्छता निरीक्षक, सुरक्षा अधिकारी और संबंधित अभियन्ता से एन.ओ.सी (अनापति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद ही सुरक्षा राशि वापिस की जाएगी।
- 4- आवंटिती को सामुदायिक भवन में केवल तय स्थान पर ही खाना पकाने की अनुमति होगी और विश्वविद्यालय आवासों में खाना बनाने की अनुमति नहीं होगी।
- 5- सामुदायिक भवन परिसर में धूम्रपान करना व शराब पीना सख्त मना है।
- 6- सामुदायिक भवन/ विश्वविद्यालय आवास के किसी भी सामान की टूट फूट होने पर हर्जाना वसूल किया जायेगा।
- 7- संपत्ति की किसी भी प्रकार से क्षति/हानि होने पर आवंटिती को स्वयं लागत लगाकर उपयोग हेतु बनाना होगा।
- 8- सामुदायिक भवन परिसर में कानून व्यवस्था बनाये रखने में आवंटिती की पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
- 9- आवंटिती को केवल स्वयं का प्रोग्राम करने की अनुमति होगी। बाहरी व्यक्ति का कार्यक्रम कराने पर किरायेदारी माना जायेगा।

10- सामुदायिक भवन / विश्वविद्यालय आवास का आवंटन अस्थाई तौर पर होगा जो कि किसी भी समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना कारण बताए रद्द किया जा सकता है।

11- नियम एवं शर्तों का पालन न करने पर जमा सुरक्षा राशि जब्त की जाएगी। इसके अतिरिक्त, आवंटी को भविष्य में उक्त सुविधा का उपयोग करने के लिए वर्जित कर दिया जाएगा।

आवेदक को उपर्युक्त शर्तों का पालन न करने पर आवश्यक कारवाई के लिए उत्तरदायी माना जाएगा।

मैंने विश्वविद्यालय सामुदायिक भवन / अस्थाई आवास आवंटन के नियम एवं शर्तों अच्छी तरह से पढ़ एवं समझ ली है। मैं इन नियम एवं शर्तों का पालन करने के लिए वचन बंध हूँ।

दिनांक _____

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय प्रभारी / विभागाध्यक्ष / संबंधित संस्थान द्वारा प्रेषित किया जाए।